झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2020

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2020
[सभा द्वारा यथा पारित]

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 में संशोधन हेतु विधेयक ।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -**

(1) यह अधिनियम झारखंड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

2. **झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की उपधारा (7) के पश्चात् नई उपधारा-8 निम्नवत अंतःस्थापित किया जायेगा:-**

"(8) इस अधिनियम के अनुसूची-I भाग-ग में अंकित मोटर वाहनों एवं ट्रैक्टर का कर भुगतान उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर एकमुश्त कर अथवा वार्षिक किश्त का निर्धारण संलग्न अनुसूची-I भाग-च में अंकित दर के अनुरूप करते हुए पथकर का भुगतान वैसे वाहन स्वामियों द्वारा किया जा सकेगा, जिनका वाहन दिनांक-31.01.2019 के पूर्व निबंधित है। वैसे वाहन स्वामी सुविधानुसार एक मुश्त कर अथवा वार्षिक कर प्रतिवर्ष देय अवधि तक भुगतान कर सकते हैं। यह सुविधा दिनांक-31.01.2019 के उपरांत निबंधित वाहनों के लिए उपलब्ध नहीं है।

परन्तु इस अधिनियम के प्रवृत होने के तिथि के उपरान्त विनिर्दिष्ट अवधि (30 दिनों के अन्दर) में अनुसूची-I भाग-ग एवं भाग-च में अंकित एक मुश्त कर देने वाले वाहनों तथा ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर के टेलर द्वारा एक मुश्त कर अथवा वार्षिक कर जमा नहीं करने तथा विलम्ब से एक मुश्त अथवा वार्षिक कर जमा करने की स्थिति में वाहन के भुगतान किये जाने वाले एक मुश्त कर अथवा वार्षिक कर का 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड वसूलनीय होगा"।

3. **झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की अनुसूची-I भाग-क के स्तंभ-6 को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित किया जायेगा :-**

(i) अतिरिक्त कर वाहन के जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 3 प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर खंड-अ एवं ब कॉलम-5 में उल्लेखित दर के अतिरिक्त अर्थात् (6+3)=9% की दर से वैसे वाहन स्वामियों से लिया जायेगा जिनके नाम पर पूर्व से व्यक्तिगत चार पहिया मोटरवाहन निबंधित हैं ।

(ii) अतिरिक्त लग्जरी कर वाहन के जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 3 प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर खंड-अ एवं ब कॉलम-5 में उल्लेखित दर के अतिरिक्त अर्थात् (6+3)=9% की दर से वैसे वाहनों पर लिया जायेगा जिनका जी.एस.टी. रहित मूल्य 15 लाख रूपये से अधिक हो तथा वाहन स्वामी के नाम से पूर्व से कोई व्यक्तिगत चार पहिया मोटर वाहन निबंधित नहीं है ।

(iii) वैसे वाहन स्वामी जो 15 लाख रूपये से अधिक मूल्य (GST रहित) का वाहन क्रय करते है एवं उनके नाम से पूर्व से चार पाहिया वाहन निबंधित है, तो कर की दर वाहन के GST रहित क्रय मूल्य का (6+3+3)=12% की दर से एकमुश्त कर देय होगा ।

4. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 में उपधारा (7) निम्नलिखित रुप से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

"ट्रैक्टर के जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 4% (चार प्रतिशत) एकमुश्त कर 20 वर्षो के लिये देय होगा ।

परन्तु यह कि ट्रैक्टर के ट्रेलर के निबंधन के समय ट्रेलर से 5,000/- (पाँच हजार) रुपये एकमुश्त पथकर 20 वर्षा के लिये वसूलनीय होगा ।

परन्तु यह और कि पूर्व से निबंधित ट्रैक्टर एवं इसके ट्रेलर का एक मुश्त पथकर पूर्व में भुगतान किये गये कर का सामंजन करते हुए उदग्रहित किया जाएगा" ।

5. झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 में अनुसूची-I में भाग-घए भाग (ङ.) एवं भाग (च) का अन्तःस्थापन ।

(1) झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की उपधारा 2 के अंतर्गत अनुसूची-I भाग-घ को निम्नलिखित रूप से अन्तः स्थापित किया जाएगा:-

अनुसूची-I

भाग-घ

अनुसूची-I भाग-ग में अंकित एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाहनों तथा ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर के ट्रेलर का कर की दर निम्नलिखित तालिका के अनुसार देय होगा ।

(धारा-5 एवं 7 की उप-धारा (1) देखें)

क्रमांक	निबंधन का स्टेज	अनुसूची-I भाग-ग में अंकित एक मुश्त कर भुगतान वाहनों तथा ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर के ट्रेलर के Sale Price के निम्न अंकित प्रतिशत पर आकलन किया जाएगा:-
1	2	3
	यदि वाहन पूर्व से निबंधित है और उसकी प्रथम निबंधन से उम्र-	वाहन के प्रथम निबंधन के समय भुगतान किये जाने वाले एकमुश्त कर का प्रतिशत
1	एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	90 %
2	दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम	80 %
3	तीन वर्ष से अधिक किन्तु चार वर्ष से कम	75 %

4	चार वर्ष से अधिक परन्तु पाँच वर्ष से कम	70 %
5	पाँच वर्ष से अधिक परन्तु छः वर्ष से कम	65 %
6	छः वर्ष से अधिक परन्तु सात वर्ष से कम	60 %
7	सात वर्ष से अधिक परन्तु आठ वर्ष से कम	55 %
8	आठ वर्ष से अधिक परन्तु नौ वर्ष से कम	50 %
9	नौ वर्ष से अधिक परन्तु दस वर्ष से कम	45 %
10	दस वर्ष से अधिक परन्तु ग्यारह वर्ष से कम	40 %
11	ग्यारह वर्ष से अधिक परन्तु बारह वर्ष से कम	40 %
12	बारह वर्ष से अधिक परन्तु तेरह वर्ष से कम	40 %
13	तेरह वर्ष से अधिक परन्तु चौदह वर्ष से कम	40 %
14	चौदह वर्ष से अधिक परन्तु पन्द्रह वर्ष से कम	30 %
15	पन्द्रह वर्ष से अधिक	30 %

(2) "झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की उपधारा 2 के अंतर्गत संलग्न अनुसूची-I भाग-ङ. को निम्नलिखित रूप से अन्तः स्थापित किया जाएगा"।

अनुसूची-I

भाग-ङ.

अनुसूची- I भाग-ग में अंकित एक मुश्त कर भुगतान करने वाले वाहनों तथा ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर के ट्रेलर के लिए कर वापसी की दर-तालिका

(धारा-7 की उप-धारा (2) देखें)

खण्ड	वापसी का स्केल	वाहनों की श्रेणी अनुसूची- I भाग-ग में अंकित एक मुश्त कर भुगतान करने वाले वाहनों तथा ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर के ट्रेलर
1	2	3
	निबंधन के बाद यदि वाहन के निबंधन का रद्दीकरण या राज्य से वर्हिगमन किया जाता हो-	वाहनों के भुगतान किये गये एक मुश्त कर के रूप में दिए गये कर की वापसी
1	एक वर्ष के भीतर	70 प्रतिशत
2	एक वर्ष के बाद परन्तु दो वर्ष के भीतर	60 प्रतिशत
3	दो वर्ष के बाद परन्तु तीन वर्ष के भीतर	50 प्रतिशत
4	तीन वर्ष के बाद परन्तु चार वर्ष के भीतर	40 प्रतिशत
5	चार वर्ष के बाद परन्तु पाँच वर्ष के भीतर	30 प्रतिशत
6	पाँच वर्ष के बाद	शून्य

(3) "झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-7 की उपधारा 2 के अंतर्गत संलग्न अनुसूची-I भाग-च को निम्नलिखित रूप से अन्तः स्थापित किया जाएगा"।

अनुसूची-I

भाग-च

मोटर वाहनों की वार्षिक किश्त की दर-तालिका

(धारा-5 की उप-धारा 1 देखें)

क्रमांक		गाड़ी की श्रेणी		मोटरवाहन कर की एक मुश्त दर	मोटर वाहन कर की वार्षिक किश्त किये जाने पर लिया जाने वाला दर
1		2		3	4
1		माल वाहक गाड़ी (ट्रेलर को छोड़कर)			
	क	1000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमता	i	1000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षा के लिए एक मुश्त कर रू. 9000/- उद्ग्रहित किया जायेगा। परन्तु उक्त श्रेणी के जो माल वाहक पूर्व से निबंधित हैं उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जाएगी। परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में 9000/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो एक मुश्त कर देय नहीं होगा।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 66% जोड़कर प्राप्त योगफल को 10 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।
			ii	10 वर्षों से अधिक पुराने माल वाहकों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एक मुश्त कर रू. 9000/- उद्ग्रहित किया जायेगा। परन्तु उक्त वाहनों द्वारा देय एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जाएगीय परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में रू. 9000/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 66% जोड़कर प्राप्त योगफल को 05 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।

	ख	1000 कि.ग्रा. से अधिक परन्तु 3000 कि.ग्रा. से अनधिक निबंधित लदान क्षमता	i	1001 से 3000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रू. 7500/- प्रति टन अथवा उसके खण्ड वजन के दर से देय होगा। परन्तु ऐसे माल वाहक जो पूर्व से निबंधित हैं उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जायेगी।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 66% जोड़कर प्राप्त योगफल को 10 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।
			ii	10 वर्षो से अधिक पुराने माल वाहकों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एक मुश्त कर रू. 7500/- प्रति टन अथवा उसके खण्ड वजन के दर से उद्ग्रहित किया जायेगा। परन्तु यह कि उक्त वाहनों द्वारा देय एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जायेगी। परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में प्रति टन अथवा उसके अंश पर रू. 7500/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो उसे एक मुश्त कर देय नहीं होगा।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 66% जोड़कर प्राप्त योगफल को 10 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।
2	क	मोटर कैब एवं ओमनी बस		टैक्सी/ मोटर कैब/ मैक्सी कैब पर जी.एस.टी. रहित क्रय मूल्य का 7% की दर से 12 वर्षों के लिए एक मुश्त कर उद्ग्रहित किया जायेगा एवं अगले 5 वर्षो के लिए एकमुश्त कर का 40% एवं 10% हरित कर जोड़कर उद्ग्रहित किया जायेगा। परन्तु ऐसे वाहनों द्वारा भुगतेय एक मुश्त कर की गणना पहले भुगतान की गई कर की राशि को अनुसूची-1 के अनुसार घटाकर की जायेगी।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 83% जोड़कर प्राप्त योगफल को 12 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।

	ख	तीन पहिया वाहन	क	चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर) नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रू. 9000 (नौ हजार) एकमुश्त कर देय होगा। अथवा सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हो राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए एकमुश्त कर रू.6,000 (छह हजार) देय होगा। अथवा 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रू. 6,000 (छह हजार) कर देय होगा।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 113% जोड़कर प्राप्त योगफल को 15 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा। अथवा कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 133% जोड़कर प्राप्त योगफल को 10 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा। अथवा कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 133% जोड़कर प्राप्त योगफल को 05 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।
			ख	7 व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)- नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रू.13,500 (तेरह पाँच सौ) एक मुश्त कर देय होगा। अथवा सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हो राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एकमुश्त कर रू. 9,000 (नौ हजार) कर देय होगा। अथवा दस वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त 9,000 (नौ हजार) कर देय होगा।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 264% जोड़कर प्राप्त योगफल को 15 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा। अथवा कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 250% जोड़कर प्राप्त योगफल को 10 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा। अथवा कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 250% जोड़कर प्राप्त योगफल को 10 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।
3	क्रेन, पोकलेन एवं यांत्रिक खुदाई वाहन (आगे की ओर बेलचा और पीछे की ओर खोदने वाला हस्त सहित अथवा अन्यथा संस्थापित काम करने वाली मशीन) जो सामान्य रुप से जे.सी.बी., बोरिंग मशीन अथवा अन्य निर्माताओं द्वारा निर्मित			यान की जी.एस.टी. रहित कीमत का 7% एकमुश्त कर 12 वर्षों के लिए उद्ग्रहित किया जायेगा। अगले 5 वर्षों के लिए	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 83% जोड़कर प्राप्त योगफल को 12 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया

	खोदक मशीन/यान के रुप में जानी जाती हो।	एकमुश्त कर का 40% एवं 10% हरित कर जोड़कर उदग्रहीत किया जायेगा।	जायेगा।
4	ट्रेलर (ट्रैक्टर ट्रेलर से भिन्न) 5000 कि.ग्रा. से अधिक निबंधित लदान क्षमता।	ट्रेलर की जी.एस.टी. रहित कीमत का 7% एकमुश्त कर 12 वर्षों के लिए उद्ग्रहित किया जायेगा। अगले 5 वर्षों के लिए एकमुश्त कर का 40% एवं 10% हरित कर जोड़कर उद्ग्रहित किया जायेगा।	कॉलम-3 में निर्धारित एक मुश्त कर में एकमुश्त कर का 83% जोड़कर प्राप्त योगफल को 12 वर्षों के लिए वार्षिक किश्त में निर्धारण किया जायेगा।
5	ट्रैक्टर	ट्रैक्टर की जी.एस.टी. रहित कीमत का 4% एकमुश्त कर 20 वर्षों के लिए उद्ग्रहित किया जायेगा।	ट्रैक्टर का वार्षिक किश्त रूपये 1000/- प्रतिवर्ष की दर से 20 वर्षों के लिए निर्धारित किया जायेगा।

6. (i) झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के बावजूद उक्त अध्यादेश के तहत किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तहत किया गया या की गई समझी जाएगी।

यह विधेयक झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) विधेयक, 2020 दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 22 सितम्बर, 2020 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(रवीन्द्र नाथ महतो)
अध्यक्ष

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 40(A)--50--6-10-2020 ।